(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.–55/18–19

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–08 के अंतर्गत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद

अर्जीकारः– रौदी महतो

प्रतिपक्षीः–बिहार सरकार/कपिलेश्वर महतो

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अर्जीकारः– रौदी महतो पिता–स्व0 खट्टर महतो, मौजा–बेला रौआही टोले नवटोली थानावो अंचल–बाबूबरही जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षीः–1– बिहार सरकार 2–अंचल अधिकारी, बाबूबरही, 3– राजस्व कर्मचारी, हल्का कार्यालय, बेला, अंचल–बाबूबरही 4–कपिलेश्वर महतो पिता–स्व0सूबे महतो साकिन– मौजा–बेला, रौआही टोले नवटोली, थाना व अंचल–बाबूबरही।	
8.01.19	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–45/2017–18 रौदी महतो–बनाम–बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–21.04.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया एवं वाद को आदेशार्थ रखा गया। **आवेदक के कथन का मुख्य अंशः–** 1–आवेदक का जमाबंदी नं. 1325/802 का कुल रकवा 2 बिघा 7 कट्ठा 1½ धूर है जिसका लगान रसीद वर्ष 2000–2001 तक आवेदक को प्राप्त है। किन्तु हल्का कर्मचारी द्वारा 1 बिघा 10 कट्ठा 17 धूर का रसीद ही काटे जाने की बात बताई गई। 2– 1 बीघा 10 कट्ठा 17 धूर का रसीद जो काटा गया उसमें से 1 कट्ठा 3 धूर को छोड़कर शेष जमीन जमाबंदी नं. 1325/802 में वापस करने का आदेश देते हुये 2 बीघा 5 कट्ठा 5½ धूर का रसीद काटने का आदेश अंचल कार्यालय के हल्का राजस्व कर्मचारी को दिया जाय। तथा विपक्षी संख्या–4 के नाम से जो अंचल बाबूबरही अंतर्गत बेला हल्का के कर्मचारी के द्वारा जो जमाबंदी नं. 2678 में 3 कट्ठा 10½ धूर में 1 कट्ठा 3 धूर जमीन को रहने देने का आदेश दिया जाय। **विपक्षी संख्या–4 के कथन का मुख्य अंशः–** 1– जमाबंदी संख्या–1325/802 में सुधार करते हुये 1 कट्ठा 3 धूर छोड़कर शेष जमीन वापस करने का आदेश दिया जाय साथ ही 2 बीघा 5 कट्ठा 5½ धूर का रसीद काटकर आवेदक को देने का आदेश दिया जाय। जिससे कि आवेदक एवं विपक्षी संख्या–4 के विवाद का निपटारा समाप्त हो जाय। अंचल अधिकारी, बाबूबरही के पत्रांक–2161 दिनांक–15.12.2018 से प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंशः– 1– हल्का में उपलब्ध पंजी–2 के अनुसार जमाबंदी नं. 1325/802	

बनाम खट्टर महतो वो बिन्देश्वर महतो पे0 कारी महतो साकिन–नवटोली का पुराना कुल रकवा 2–15–6–8 में से खारिज के बाद बचेशेष वर्तमान में कुल रकवा 1–11–15 है जिसका भू–लगान रसीद वर्ष 2017–18 तक अद्यतन है। आवेदक के पिता का जमाबंदी में से दाखिल खारिज कर विपक्षी संख्या–4 के नाम जमाबंदी नं. 2677 कायम किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा वाद संख्या–45/17–18 में पारित आदेश का मुख्य अंशः–

आवेदक द्वारा दायर दाखिल खारिज अपील वाद **जमाबंदी सुधार से संबंधित है**। दाखिल खारिज के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये जाने तथा अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं होने के कारण निम्न न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया।

सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय का मुख्य अंशः–

विपक्षी संख्या–4 की ओर से प्रस्तुत कारण–पृच्छा तथ्यहीन एवं न्यायसंगत नहीं है। निम्न न्यायालय का आदेश जायज एवं न्यायसंगत है।

निष्कर्षः–

आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, सरकारी सहायक अधिवक्ता की राय एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं परिसिलन से स्पष्ट है कि आवेदक का **पुनरीक्षण आवेदन जमाबंदी सुधार से संबंधित है**। आवेदक ने पुनरीक्षण आवेदन में लिखा है कि निम्न न्यायालय ने बिना तथ्य को सूने ही बैक डेटिंग आदेश पारित कर दिया। आवेदक ने एक जमाबंदी संख्या में अंकित रकवा में से सुधार कर दुसरे जमाबंदी में जोड़ने का अनुरोध किया है। रकवा सुधार हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। आवेदक एवं प्रतिपक्षी का पक्ष अंचल स्तर से किये गये दाखिल खारिज के विरूद्ध है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 के तहत अंचल अधिकारी द्वारा किये गये दाखिल खारिज के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर कर दाखिल खारिज के संबंध में ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। इसी ऑबजर्वेशन के साथ आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को पुनः सुनवाई कर न्याय निर्णय हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय में रिमाण्ड किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी को वाद की कार्रवाई हेतु वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

8/1/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

8/1/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

निबंधानुसार आदेश की प्रति DCLR सदर एवं NIC को प्रेषित।
8/1/19
पेशकार